न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 129/2020, जिला सीकर

1. नेमीचन्द पुत्र स्व0 श्री शेराराम जाति जाट निवासी ग्राम नरोदडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. लालाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी नरोदडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0।
2. जैताराम पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी नरोदडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0।
3. प्रहलाद पुत्र चन्दा जाति जाट निवासी नरोदडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0।
4. मंगला पुत्र सूरजा जाति जाट निवासी नरोदडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0।

—रेस्पोंडेन्ट्स

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।
6. नाथी देवी पत्नी शेराराम जाति जाट निवासी नरोदडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0।
7. धन्नाराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी नरोदडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0।

—तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर निर्णय दिनांक 06.06.2017 प्रार्थना पत्र संख्या 03/2016 उनवानी लालाराम बनाम तहसीलदार लक्ष्मणगढ।

उपस्थित–

1. श्री राजाराम चौधरी वकील अपीलान्ट।
2. श्री संजय शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 व 4 की ओर से
3. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक —28.06.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 06.06.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि वाके ग्राम नरोदडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में स्थित भूमि खसरा नं. 82, 83, 84, 85, 86, 882 कुल किता 6 कुल रकबा 5.44 है0 गत खसरा नं. 38 रकबा 5.41 है0 एवं 336 रकबा 0.03 है0 थे। जो अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 6 व 7 के खातेदारी की भूमि पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लालाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट ने प्रार्थना पत्र धारा 136 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम करने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर ने तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु भिजवाये गये प्रस्ताव, मौका रिपोर्ट एवं राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

(6) विभाग के परिपत्र की पालना में खसरा नं. 45/2, 38, 47, 64, 55, 63, 56/1, 56/2, 61, 81 व 301/607 के खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मु0 रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 06.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट नेमीचन्द पुत्र स्व0 श्री शेराराम द्वारा यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम एवं 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 06.06.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट संख्या 6 प्रकरण में भूमि खसरा नं. खसरा नं. 82, 83, 84, 85, 86, 882 कुल किता 6 कुल रकबा 5.44 है0 गत खसरा नं. 38 रकबा 5.41 है0 एवं 336 रकबा 0.03 है0 के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार एव काश्तकार थे एवं अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 6 के पिता शेराराम की मृत्यु उपरान्त शेराराम की पत्नी रेस्पोडेण्ट संख्या 6 नाथी देवी पत्नी शेराराम रिकॉर्डेड खातेदार है। अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 6 के मध्य विवाद होने पर उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा दिनांक 08.10.2020 को राजीनामा के आधार पर वाद को डिक्री कर दिया। तत्पश्चात् रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लालाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट ने प्रार्थना पत्र धारा 136 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के समक्ष अपीलांट व प्रभावित व्यक्तियों को पक्षकार बनाये बिना ही उनकी खातेदारी की भूमि में से प्रचलित रास्ता बताकर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम करने का निवेदन किया एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2017 पारित करवा लिया। रेस्पोडेण्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रार्थना पत्र 136 में पोषणीय नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा पूर्व में भी न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के समक्ष भी उक्त खसरा नम्बरों में से रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत क़िया गया था जिस पर न्यायालय ने दिनांक 14.12.2015 को आदेश फरमाया कि रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) अथवा रिकॉर्ड दुरूस्ती की धारा 136 के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया तथा तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा तकासमा के बारे में जो रिपोर्ट बनाई गई उसमें भी कहीं रास्ता दर्ज नहीं है। तहसीलदार सीकर व पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जॉच किये उक्त विवादित भूमि में रास्ता प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ सीकर को भेजा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना मौके की जॉच, खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार भी मौके पर बिना कोई रास्ता पूर्व में प्रचलित हुये बिना नया रास्ता कायम करने का कोई प्रावधान नहीं है जिसको नजरअंदाज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नया रास्ता कायम करने के आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार न करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2017 पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 06.06.2017 निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे जिस कारण से उन्हे अपील पेश करने की अनुमति नहीं थी। हम माननीय राजस्व मण्डल

Scanned with OKEN Scanner

राज0 अजमेर के आदेश दिनांक 06.04.2022 द्वारा 1 नियम 10 से पक्षकार संयोजित किये गये हैं। उक्त भूमि पर पूर्व से रास्ता प्रचलित है जो कि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। मौके पर रास्ता आज भी यथावत कायम है जिस पर अन्य सभी खातेदारों को कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार द्वारा मौका देखकर मौके की जॉच पश्चात् ही प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी को भेजा जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता चालू है एवं मौके पर प्रचलित है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 24.11.2020 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलार्थी एवं प्रारम्भिक रेस्पोडेन्ट संख्या 4,5 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 82, 83, 84, 85, 86, 882 कुल किता 6 कुल रकबा 5.44 हैक्टेयर वाकै ग्राम नरोदडा प. ह. नरोदडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में स्थित है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2017 को पारित कर दिया। जिससे प्रार्थी के अधिकार गम्भीर रूप से विपरीत प्रभावित होने के कारण अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार लक्ष्मणगढ सीकर के प्रस्ताव 09.12.2016 के अनुसार के अनुसार प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत 09.12.2016 के द्वारा ग्राम ग्राम नरोदडा के ख.नं. 45/2, 38, 47, 64, 55, 63, 56/1, 56/2, 61, 81 व 301/607 में से रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर में तहसीलदार लक्ष्मगणगढ जिला सीकर के दिनांक 09.12.2016 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों में से सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा, सहमतिस्वरूप खातेदारों के हस्ताक्षर प्राप्त हुआ। तहसीलदार लक्ष्मगणगढ जिला सीकर के प्रस्ताव दिनांक 09.12.2016 के अनुसार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 में भी कदीमी/सदामत से चल रहे रास्तों का अंकन करने का प्रावधान किया गया है। उक्त परिपत्र में स्पष्ट किया है कि रास्तों का अंकन करने का प्रावधान किया गया है। उक्त परिपत्र में स्पष्ट किया है कि रास्ते का अंकन गैर मुमकिन रास्ते के रूप में कृषि भूमि से खातेदार के खाते में से उक्त रकबें को कम करते हुए दर्ज किया जावे। अधिकांश खसरान के खातेदारों के प्रस्तुत सहमति पत्र के आधार पर व संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ते के पृथक खसरा नंबर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये एवं नक्शे में तरमीम करने तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में रखने तथा तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रखने के आदेश दिये गये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा निर्णय दिनांक 06.06.2017 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्ता को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई

प्रतिलिपि संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बर 82, 83, 84, 85, 86, 882 कुल किता 6 कुल रकबा 5.44 है गत खसरा नम्बर 38 रकबा 5.41 है0 एवं 336 रकबा 0.03 है0 में जिस खसरा से रास्ता फैसल हुआ है, उसमें रास्ते के रकबा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 06.06.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर